यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, पी–2, सैक्टर–ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा।

पत्रांकः वाई.ई.ए/वित्त/689/2023
दिनांकः 20-09-2023

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 78 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 09 में औद्योगिक व मिश्रित, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप तथा वाणिजियक योजना हेतु **"प्राधिकरण द्वारा एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time settlement policy, 2023/04) लाये जाने के सम्बन्ध में"** प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसपर संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उसपर प्राप्त अनुमोदन के के क्रम में ओ.टी.एस **(One Time settlement policy, 2023/05)** योजना एक माह दिनांक 01.10.2023 से 31.10.2023 तक के लिए लाये जाने हेतु निम्न नीति निर्धारित की जाती है :–

(क) आवंटियों के लिये निर्धारित श्रेणी :–

1. ओ.टी.एस. योजना, विभिन्न परिसम्पत्तियों यथा **औद्योगिक एवं मिक्स लैण्ड, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप तथा वाणिज्यिक** योजना पर लागू होगी, चाहे वे आवंटन पद्धति से आवंटित हों या नीलामी पद्धति से हो या अन्य पद्धति से आवंटित हो।
2. योजनाए औद्योगिक/मिक्स लैण्ड यूज, ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप, वाणिज्यिक, संस्थागत योजना भूखण्डों हेतु आवंटित परिसम्पत्ति तथा सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों पर ओ.टी.एस. योजना लागू होगी, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार व सरकारी उप्रकमों को आवंटित सम्पत्तियॉ भी सम्मिलित होंगी।
3. विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखण्डों एवं चैरिटेबल संस्थाओं, आदि को आवंटित सम्पत्तियों पर भी ओ.टी.एस. योजना लागू होगी।
4. समस्त प्रकार की व्यवसायिक सम्पत्तियों, चाहे नीलामी द्वारा अथवा अन्य पद्धति से आवंटित हों, पर ओ.टी.एस. योजना लागू होगी।
5. उक्त योजना प्राधिकरण के आवंटी पर लागू होगी। बिल्डर्स प्राधिकरण के आवंटी है इसलिए उनके द्वारा ही निर्धारित शुल्क व प्रकिया का पालन कर आवेदन किया जायेगा। आवंटी/बिल्डर्स पर जो भी देयता है उसमें से केवल दण्ड ब्याज की छूट अनुमन्य होगी एवं बिल्डर्स ओ.टी.एस पेमेन्ट प्लान के अनुसार पूरी धनराशि जमा कर देंगे तो ओ.टी.एस मान्य होगा अन्यथा की स्थिति में नहीं। बिल्डर्स द्वारा ओ.टी.एस की पूरी धनराशि जमा करके ओ.टी.एस का लाभ लिया जायेगा तथा इस प्रकार प्राप्त छूट को अपने आवंटियों को हस्तांतरित (pass on) किया जायेगा तथा इस आश्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उसके द्वारा ओ.टी. एस के पेमेन्ट प्लान के अनुसार पूरी धनराशि जमा कर दी गयी है तथा इस प्रकार प्राप्त लाभ को pass on किया गया है।

(ख) <u>सिद्धान्तः–</u>

1. ओ.टी.एस. योजनान्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों (आवंटन धनराशि जमा होने के उपरान्त) से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति आवंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर एवं समय समय पर प्राधिकरण में लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा।
2. आवंटियों से किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज नही लिया जायेगा। डिफाल्ट की अवधि का ब्याज उक्त उल्लिखित <u>सिद्धान्त</u> (1) के अनुसार लिया जायेगा।
3. आवंटी द्वारा किये गये भुगतान को सर्वप्रथम डिफाल्ट की अवधि तक ओ.टी.एस. आधार पर आगणित ब्याज, तदोपरान्त बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे।
4. ओ.टी.एस योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (surplus)धनराशि आती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।
5. यदि किसी आवंटी द्वारा स्वानुरोध अथवा किसी शासनादेश के क्रम में देयों/किस्तों का पुर्ननिर्धारण कराया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में ओ0टी0एस0 की गणना सम्पत्ति के आवंटन के समय निर्धारित किस्तों एवं ब्याज के अनुरूप की जाएगी।
6. बिन्दु 1 के अनुसार केवल आवंटियों के प्रीमियम की किस्तों के सापेक्ष **डिफाल्ट ब्याज** पर छूट की अनुमन्यता हेतु ओ0टी0एस0 सुविधा लाभकारी होगी, **अन्य देयताएं** पूर्व की भांति यथावत रहेगी।

Scanned with CamScanner

7. जिन आवंटियों द्वारा रेरा एवं अन्य किसी मा0 न्यायालय/फोरम में वाद योजित किया गया है तो ऐसे प्रकरणों वाद निर्णय अवधि तक वापिस लिये जाने के उपरान्त ही ओ0टी0एस0 की सुविधा अनुमन्य की जायेगी। सम्बन्धित आवेदक द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी न्यायालय/फोरम में कोई वाद योजित नहीं किया गया है, की पुष्टि सम्बन्धित सम्पत्ति विभाग द्वारा विधि विभाग से कराया जायेगा।
8. जिन आवंटनों के सापेक्ष पूर्ण भुगतान हो चुका है उन प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा।

(ग) प्रोसेसिंग फीस :–

क्र0	सम्पत्तियों का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (जी.एस.टी. सहित) (रू0)	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली प्रारम्भिक धनराशि (रू0)	अभयुक्ति
1	औद्योगिक एवं मिक्स लैण्ड यूज उपयोग की सम्पत्तियों तथा व्यावसायिक निर्मित दुकानों व व्यवसायिक भूखण्डों पर	5,000	1,00,000	ओ.टी.एस. आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि, आगणित लागत/देय धनराशि में समायोजित हो सकेगी। परन्तु प्रोसेसिंग फीस ओ.टी.एस. का मात्र प्रभार है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
2	संस्थागत।	11,000	5,00,000	
3	ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप	11,000	5,00,000	

(घ) आवेदन हेतु समयावधि :–

1. प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के कम में प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र की तिथि से सभी डिफाल्टर्स को ई–मेल/एस.एम.एस./पत्र के माध्यम से सूचित करते हुये एवं योजना का व्यापक प्रचार प्रसार (शिविर/गोष्ठी का आयोजन, होर्डिंग आदि के माध्यम से प्रचार –प्रसार किया जाये) करते हुये इसके संचालन हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही मार्केटिंग एवं सिसटम विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
2. ओ.टी.एस. हेतु आवेदन पत्र देने के लिए अन्तिम तिथि उक्त योजना प्राधिकरण में लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.10.2023 तक के लिए निर्धारित की जाती है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. ओ.टी.एस. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गयी हो, मानी जाएगी।

(ड) आवेदन की प्रकिया :–

1. आवंटियों द्वारा आवेदन ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ.टी.एस. योजना/05–2023 का प्राधिकरण की वेबसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com के होमपेज पर लिंक सिस्टम व सम्पत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिसके माध्यम से संबंधित आवंटियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। आवेदकों के लिये ऑनलाईन आवदेन की प्रकिया सुविधाजनक बनाने हेतु प्राधिकरण के सम्पत्ति विभाग में हेल्प–डेस्क की व्यवस्था सिस्टम एवं सम्पत्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी। तथा सिस्टम व सम्पत्ति विभाग द्वारा कॉल सेन्टर की व्यवस्था की जायेगी। सभी सम्पत्ति विभाग एवं सिस्टम विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवंटियों की सूचना सिस्टम/ऑनलाईन में अपडेट है ताकि ऑनलाईन ओ.टी.एस आवेदन हो सके।
2. ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त गणनाशीट एवं वाछिंत धनराशि जमा करने की सूचना आवंटी द्वारा दिये गये ई–मेल/एम.एम.एस./पत्र व्यवहार की सूचना सिस्टम व सम्पत्ति विभाग द्वारा दी जायेगी।

(च) आवेदन–पत्रों का निस्तारण :–

ओ.टी.एस. आवेदनों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 01 माह में किया जायेगा। तत्पश्चात निरस्तीकरण एवं प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में ओ.टी.एस. हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे डिफाल्टरों के विरूद्व नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with CamScanner

(छ) भुगतान की प्रकिया :–

ओ.टी.एस. में आगणित धनराशि को जमा करने हेतु निम्नवत प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

1. ओ.टी.एस गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू0 50.00 लाख तक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग पत्र डिस्पैच (डिस्पैच का तात्पर्य एस.एम.एस, ई–मेल व हार्ड कापी से है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 मासिक किश्तों में 03 माह में 10.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर (जो प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी व 1 जुलाई को पुर्ननिर्धारित की जायेगी) से जमा करना होगा। विलम्ब की स्थिति में 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। परन्तु अंतिम किश्त हेतु निर्धारित तिथि तक यदि सूचित की गयी समस्त धनराशि जमा कर दी जाती है, तो ओ.टी.एस मान्य होगा अन्यथा ओ.टी.एस निरस्त हो जायेगा। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि कुल चार माह में जमा करनी होगी।
2. ओ.टी.एस गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू0 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 द्विमासिक किश्तों में 06 माह में 10.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर (जो प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी व 1 जुलाई को पुर्ननिर्धारित की जायेगा।) जमा करना होगा। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी। प्रथम बार विलम्ब से भुगतान किए जाने पर 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। किन्तु पुनः विलम्ब किए जाने पर ओ.टी.एस सुविधा निरसत कर दी जायेगी।
3. ओ.टी.एस 2023/03 में जिनके पेमेन्ट प्लान चल रहे है वह ओ.टी.एस योजना 2023/05 में आवेदन नहीं कर पायेंगे।

(ज) बकाया धनराशि की वसूली :–

1. ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देय कोई धनराशि का भुगतान यदि निर्धारित समय–सीमान्तर्गत आवंटी द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।
2. ओ0टी0एस0 हेतु वांछित धनराशि (पैरा 'छ' के बिन्दु सं0–1 व 2 के अनुसार) जमा करने में असफल आवेदकों द्वारा ओ0टी0एस0 हेतु जमा धनराशि उसकी अतिदेयता में समायोजित कर ली जायेगी तथा उसे भविष्य में कभी ओ0टी0एस0 की सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
3. ओ.टी.एस. योजना के कियान्वयन की मासिक प्रगति से संबंधित आकंडों का संकलन प्राधिकरण के संबंधित सम्पत्ति विभाग द्वारा किया जायेगा। प्राधिकरण की मासिक समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उक्त योजना का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा भी नियमित समीक्षा की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(विशम्भर बाबू)
महाप्रबन्धक (वित्त) o/c

प्रतिलिपि :–

- स्टॉफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- विशेष कार्याधिकारी–(एस.बी/एस.के.एस/एम0) को सूचनार्थ प्रेषित।
- महाप्रबन्धक (परियोजना)/(नियोजन) को अनुपालनार्थ।
- उप महाप्रबन्धक (वित्त) को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
- समस्त सहायक महाप्रबन्धक/प्रबन्धक (उद्योग)/(संस्थागत)/(वाणिज्यिक)/(ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप) को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
- सहायक महाप्रबन्धक (सिस्टम) को उक्त नीति को पूर्व की भांति प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (वित्त) o/c

Scanned with CamScanner